आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-02 of 2020

Dist.:-.Patna

PRESENT :- Smt. (Dr.)Vandana kini, IAS,
Chairman-Cum-Member:

==========

Md Gulam Navi Azad - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

==========

Appearance :
For the Petitioner :
For the OP :

==========

ORDER

05.12.2022

यह सेवा अपील मो0 गुलाम नबी आजाद, निम्नवर्गीय लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा द्वारा निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) द्वारा पारित आदेश 17–नि0 (अरा0 आ0) दरभंगा–94/2016–546 दिनांक 01.04.2019 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर की गई है।

2. उक्त आदेश में मो0 आजाद को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए संचिका में रक्षित साक्ष्य/ अभिलेखों के आधार पर एवं दरभंगा, जिला नगर थाना काण्ड संख्या 39/2016 दिनांक 26.02.2016 के अभियुक्त के रूप में मामला दर्ज रहने तथा निदेशालय के पत्रांक– 1454 दिनांक 18.09.2017 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के मद्देनजर लापरवाह स्वेच्छाचारी, गलत तरमीम करने / करवाने में अभिरूचि रखने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संशोधन नियमावली, 2007 के भाग (vi) कंडिका–14 (vi) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत दंड

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अधिरोपित करते हुए संचयात्मक प्रभाव से 05 (पाँच) वार्षिक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है।

3. अपीलार्थी के दिनांक 18.12.2019 के अपने अपील अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा के पत्रांक–95–II दिनांक 06.03.2014 द्वारा स्वयं एवं श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिनों यथा शनिवार, सोमवार एवं मंगलवार को जिला अभिलेखागार दरभंगा में पेजिंग एवं कटे फटे हुए अभिलेख को साटने हेतु किया गया था। अपीलार्थी के अनुरोध के बावजूद भी जिला अभिलेखागार में तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा मो0 आजाद को प्रतिनियुक्त किये जाने का उल्लेख किया गया है साथ ही सेवानिवृत पेशकार श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के अभिलेखागार आने का भी खण्डन किया गया है, जिसके बारे में मो0 आजाद द्वारा पूर्व में स्पष्टीकरण भी समर्पित किया गया है। इस घटना के समर्थन में अभिलेखागार दरभंगा कोर्ट के सभी कर्मी कार्यालय के बाहर विधिक मुंशी एवं अन्य जनता के बयान का भी उल्लेख किया गया है। सभी तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–546 दिनांक 01.04.2019 के कंडिका–1 में प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. अपीलार्थी के अपील अभ्यावेदन पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–546 दिनांक 01.04.2019 द्वारा प्रदत्त सजा के संबंध में विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया है कि मो0 गुलाम नबी आजाद, तत्कालीन सेवानिवृत पेशकार श्री शैलन्द्र कुमार सिंह को अपने कार्यालय में बुलाकर, अभिलेखागार के कर्मियों से त्रुटि निराकरण हेतु खतियान की मांग कर खतियान में बिना कोई आदेश के प्रविष्टि / तरमीम किया करते थे। खतियान में किये गये तरमीम के जांच

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार, दरभंगा ने जब उनका बयान लेना चाहा तब उस अवधि में अभिलेखागार से गायब रहे। जांच के क्रम में मो0 आजाद के टेबुल पर 42 की संख्या में बी0टी0 एक्ट की धारा–106 में पारित आदेश के नकल की छायाप्रति पायी गयी। तीन छायाप्रति के पीठ पर ''तरमीम करना है'' लिखा हुआ था।

5. उपस्थापन पदाधिकारी तथा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन तदोपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत दंडादेश से स्पष्ट होता है कि मो0 आजाद पर गलत तरमीम करने / करवाने में संलिप्तता एवं इनके टेबुल पर भारी मात्रा में नकल पाया जाना, बुलाने पर नहीं आना / गायब रहना, प्रतिवेदित आरोप को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। मो0 आजाद के द्वारा अपने दोनों स्पष्टीकरण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसी मामले में मो0 आजाद के विरूद्ध खतियान में हेराफेरी करने के आरोप में दरभंगा नगर थाना में कांड संख्या–39/2016 दिनांक 26.02.2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके अभियोजन की स्वीकृति निदेशालय के पत्रांक–1454 दिनांक 18.09.2017 के द्वारा दी गई है। मो0 आजाद के विरूद्ध उक्त कांड में पुलिस ने केस को सत्य पाते हुए चार्ज शीट दायर भी कर दिया हैं। उपरोक्त आरोपों के आधार पर विभाग के द्वारा मो0 गुलाम नबी आजाद को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह, स्वेच्छाचारी, गलत तरमीम करने / करवाने में संलिप्त एवं अनुशासनहीन कर्मी बताते हुए इनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई को नियमानुकूल बताया गया है।

6. इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों की दिनांक 13.10.2022 को अंतिम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा कहा गया कि स्वयं अपीलार्थी एवं श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिनों यथा शनिवार, सोमवार एवं मंगलवार को जिला अभिलेखागार दरभंगा में पेजिंग एवं कटे फटे हुए अभिलेख को साटने हेतु कार्य किया गया था। अपीलार्थी के अनुरोध के बावजूद भी जिला

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अभिलेखागार में तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा मो0 आजाद को प्रतिनियुक्त किया गया। साथ ही सेवानिवृत पेशकार श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के अभिलेखागार आकर त्रुटि निराकरण किये जाने की बात को अस्वीकार किया गया है। इस घटना के समर्थन में अभिलेखागार दरभंगा कोर्ट के सभी कर्मी, कार्यालय के बाहर विधिक मुंशी एवं अन्य जनता के बयान अपीलार्थी के पक्ष में दिये जाने का उल्लेख किया गया। सभी तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या-546 दिनांक 01.04.2019 के कंडिका-1 में प्रतिवेदित आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7. इस वाद में उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों, तथ्यों एवं तर्कों का विश्लेषण करने पर स्थिति निम्नवत् पाई गई हैः-

7(i)- अपीलार्थी मो0 गुलाम नबी आजाद, निम्नवर्गीय लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा द्वारा निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) द्वारा पारित दंडादेश 17-नि0 (अरा0 आ0) दरभंगा-94/2016-546 दिनांक 01.04.2019 के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। इस आदेश के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमावली, 2005 के संशोधन नियमावली, 2007 के भाग (vi) कंडिका-14 (vi) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत दंड अधिरोपित करते हुए संचयात्मक प्रभाव से 05 (पाँच) वार्षिक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी को दंड देने का आधार यह रहा है कि अभिलेखागार, दरभंगा में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत पेशकार को अभिलेखागार कार्यालय में बैठाना, अभिलेखागार में नियुक्त अन्य कर्मियों से त्रुटि निराकरण हेतु खतियान की मांग कर खतियान में बिना कोई आदेश के प्रविष्टि करने तथा इससे संबंधित साक्ष्य के रूप में इनके टेबुल पर कुल 42 की संख्या में बी0टी0 एक्ट की धारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

106 में पारित आदेश के नकल के छायाप्रति पाया जाना एवं तीन छायाप्रति की पीठ पर ''तरमीम करना है'' लिखा होना पाये जाने के कारण इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी और विभागीय कार्यवाही में आरोप को आशिंक रूप से प्रमाणित पाया गया।

7(ii)– अपीलार्थी ने अपने बचाव में उल्लेख किया है कि अभिलेखागार में प्रतिनियुक्ति किये जाने के पूर्व उनके द्वारा तत्कालीन, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय श्री अमर नाथ झा को इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति को नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया था फिर भी कार्यालय ज्ञापांक–95–II दिनांक 06.03.2014 द्वारा स्वयं एवं बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिनों यथा शनिवार, सोमवार एवं मंगलवार को जिला अभिलेखागार दरभंगा में पेजिंग एवं कटे फटे हुए अभिलेख को साटने हेतु किया गया था। यह कार्य एक सरकारी कर्मी के लिए उचित नहीं है कि वह कौन सा कार्य करें अथवा कौन सा कार्य नहीं करें। अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि अभिलेखागार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके द्वारा अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन नहीं किया गया है न ही इस कार्य के लिए किसी सेवानिवृत कर्मी का सहयोग लिया गया है परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके निर्धारित टेबुल पर कुल 42 की संख्या में बी0टी0 एक्ट की धारा 106 में पारित आदेश के नकल के छायाप्रति का पाया जाना तथा तीन छायाप्रति की पीठ पर ''तरमीम करना है'' तथा प्रभारी पदाधिकारी अभिलेखागार द्वारा इस संबंध में उनका मंतव्य प्राप्त करने के लिए बुलाये जाने पर गायब पाया जाना, इस संबंध में उनकी सहभागिता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त श्री आजाद के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या 39/2016 दिनांक 26.02.2016 में उनके विरूद्ध चार्जशीट भी दायर कर दी गई हैं।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

उभय पक्षों की सुनवाई करने तथा सभी कागजातों के अवलोकन के पश्चात् अपीलकर्त्ता की अपील को अस्वीकृत करते हुए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–546 दिनांक 01.04.2019 द्वारा अपीलकर्त्ता को दिए गए दंड संचयात्मक प्रभाव से 05 (पाँच) वार्षिक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के दंड की सम्पुष्टि की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

5/4/2022

(श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

5/4/2022

(श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।